



**DELHI HINDUSTANI MERCANTILE ASSOCIATION (REGD.)**

The ancient association of wholesale cloth traders in India

**दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाइल एसोसिएशन (पंजी.)**

भारत में थोक वस्त्र व्यापारियों की प्राचीनतम संस्था

**अरुण कुमार सिंहानिया**  
**Arun Kumar Singhania**

प्रधान / President  
(O) 23978890, (M) 9811017884

**मुकेश सचदेवा**  
**Mukesh Sachdeva**

महामंत्री / Gen. Secy.  
(O) 23931494, (M) 9811109054

**‘कोरोना वायरस’ के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक दिशानिर्देश बिन्दु**

**Mask + Sanitizer = Safety From Corona**

- कटरा कमेटी सुरक्षा की दृष्टि से स्वयं अपने स्तर पर सेनेट्राईजर मशीन की व्यवस्था कर एक व्यक्ति नियुक्त करें जो प्रतिदिन मार्किट-कटरे को खुलने से पहले पूरी तरह से सेनेट्राईज करे, यह अति आवश्यक है।
- मार्किट में एक से अधिक प्रवेश व निकास द्वार होने पर सरक्षा हेतु कटरा कमेटी निर्णय लें कि कितने प्रवेश और निकास खोलने हैं या बन्द रखने हैं,
- प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर दो व्यक्ति को नियुक्त करें जो मार्किट में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सेनेट्राईज करे साथ ही **Digital forehead thermometer** मशीन द्वारा व्यक्ति की जांच करें और यदि किसी व्यक्ति का तापमान अधिक या बुखार पाया जाये तो उसे पृथक कर मार्किट में प्रवेश न करने दें व मार्किट एसोसिएशन और पुलिस को सूचित करें
- व्यापारी कोई भी सामान स्टूल, गठरी, पेटी या कोई की अन्य सामान दुकान के बाहर न रखें, जिससे मार्किट में आने-जाने वाले लोगों के लिए निश्चित आपसी दूसरी बनाये रखना आसान हो सकेगा।
- दुकान पर कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए, व समय-समय पर कर्मचारी के हाथों को सेनेट्राईज कराते रहे।
- दुकान में आने वाले ग्राहकों के हाथों को सेनेट्राईज कराये, ध्यान रखें कि ग्राहक मास्क पहने हुए हो, दुकान में ग्राहकों के बीच **Social Distancing** का भी ध्यान रखे।



कर्मचारी द्वारा मार्किट, दुकान व सार्वजनिक स्थान पर गुटखा, पान, तम्बाखू व धूम्रपान आदि का सेवन करना व थूकना पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, सरकार द्वारा भी यह दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है ऐसा करने पर प्रशासन द्वारा दण्डनीय कार्यवाही भी की जा सकती है।



**DELHI HINDUSTANI MERCANTILE ASSOCIATION (REGD.)**

The ancient association of wholesale cloth traders in India

**दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाइल एसोसिएशन (पंजी.)**

भारत में थोक वस्त्र व्यापारियों की प्राचीनतम संस्था

**अरुण कुमार सिंघानिया**  
**Arun Kumar Singhania**

प्रधान / President  
(O) 23978890, (M) 9811017884

**मुकेश सचदेवा**  
**Mukesh Sachdeva**

महामंत्री / Gen. Secy.  
(O) 23931494, (M) 9811109054


- कर्मचारी मार्किट, दुकान में अपने सहयोगी कर्मचारी से बात करने के दौरान दूरी बनाये रखे, साथ ही साथ खाना खाने व आपस में खाना सांझा करने से बचे।
- कर्मचारी यदि स्मार्टफोन फोन का प्रयोग करता है तो उसके द्वारा सुरक्षा की दृष्टि आरोग्य सेतु ऐप अवश्यक डाउनलोड करें।
- मार्किट में दुकानदार आपस में मिलकर 5 से 10 दुकानों के बीच एक कूड़ेदान अवश्य रखे।
- चाय व खाने-पीने का सामान बाहर से मंगवाने पर सावधानी बरते संभव हो तो न मंगवायें।
- कर्मचारी या उसके परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो कर्मचारी दुकान मालिक को अवश्य सूचित करें।

प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत यदि किसी कॉलोनी-मार्किट आदि स्थानों पर कोराना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है या संक्रमण फैलने का अंदेशा पाया जाता है तो उस स्थान और मार्किट को सील कर दिया जायेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी जरा सी लापरवाई मार्किट के किसी भी कटरे को कोरोना वायरस के संक्रमण का कारण न बने।

ऐसी किसी भी लापरवाही के कारण प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ऐसे में एसोसिएशन आपका सहयोग नहीं कर सकेगी।

  
(अरुण सिंघानिया)  
प्रधान

भवदीय

  
(मुकेश सचदेवा)  
महामंत्री

